b. तत्पश्चात ऐसे कार्मिक जिनके पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत विकलांगता की परिभाष मे सम्मिलित हो, एवं इसके उपरान्त वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी मे आने वाले कार्मिकों को विद्यालय/कार्यालय आवंठित किया जायेगा।

c. तत्पश्चात सैनिक तथा अद्धसैनिक बलो मे तैनात कार्मिको की पति/पत्नी को विद्यालय/कार्यालय आवंटित किया जायेगा।

d. इसके उपरान्त ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र मे पूर्व मे हो न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो।

e. उक्त के अतिरिक्त मायन्ता प्राप्त सेवा संघो के जनपदीय अध्यक्ष/सचिव (जनपद मे पद की उपलब्धता के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार अनुमन्य श्रेणी मे)।

संबंधित कार्मिक को काउंसिलिंग मे विद्यालय/कार्यालय आवंटन हेतु उक्तानुसार चक्रानुक्रम मे अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त कार्मिक स्वेच्छा से दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों/कार्यालयों का चयन भी कर सकेंगे।

iv. अवशेष कार्मिक, जिनके दुर्गम क्षेत्र की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम हो तथा जो स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 के खण्ड (घ) से आच्छादित नहीं है, को प्रस्तर-iii के अनुसार तैयार की गयी ग्रेडिंग सूची के क्रम में दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय/कार्यालय के चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा।

v. यदि किसी कार्मिक द्वारा काउंसिलिंग मे प्रतिभाग नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा नियमानुसार अनुमन्य स्थान का चयन नही किया जाता है, तो ऐसी स्थिति मे संबंधित कार्मिक को नियमानुसार स्थान आवंटित कर दिया जायेगा।

3- अतः इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार प्रदेश के मिनिस्टियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति मे पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध मे आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या /2 4 /XXIV-2/21-13(01)/2021 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

संख्या 124 /XXIV-2/21-13(01)/2021

प्रेषक,

श्रीमती मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 09 जुलाई, 2021

विषयः- मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सेवायें-3/14172/संघ मांग पत्र/2020-21 दिनांक 06.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति पर पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- तद्क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है:-

i. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जायेगी।

ii. दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों की ग्रेडिंग सूची उनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी तथा दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से कम अवधि की सेवा करने वाले कार्मिकों की सूची उनके द्वारा सुगम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा अवधि के अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। उक्तानुसार वरीयता क्रम (अधिकतम सेवा अवधि के आधार पर) में क्रमशः सुगम व दुर्गम में तैनाती की जायेगी।

iii. सर्वप्रथम पदोन्नति पद पदस्थापना हेतु स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 के खण्ड (घ) के प्रतिबंधों के अधीन कार्मिकों को काउंसिलिंग के माध्यम से सुगम क्षेत्र के विद्यालयों/कार्यालयों के चयन हेतु निम्नवत् क्रम में अवसर प्रदान किया जायेगा:-

a. सर्वप्रथम ऐसे कार्मिक को स्थल आवंटित किया जायेगा, जो स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-3 (घ) के अन्तर्गत गम्भीर रोग से आच्छादित हो तथा जो सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। तत्पश्चात धारा-3 के अधीन विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, को अवसर प्रदान किया जायेगा।

Scanned with CamScanner